

संख्या पीसीएच-एचए(5)सी(15) -313/89-दिशानिर्देश- - 2260-2340
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग हि.प्र.।

सेवा में,

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति एवं
खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
शिमला-9 दिनांक

19 जुलाई, 2022

विषय:-

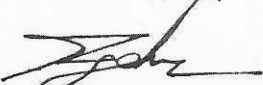
विकास खण्ड कार्यालयों में पंचायत समिति निधि से अनुज्ञेय वस्तुओं की खरीद रोकने
बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निजी सचिव, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मन्त्री, हि0प्र0 के अ0स0 पत्र जिसके साथ हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति अध्यक्ष परिषद का पत्र संलग्न है, द्वारा सूचित किया गया है कि विकास खण्ड कार्यालयों में पंचायत समिति निधि से अनुज्ञेय वस्तुओं जैसे फ्रीज, वाशिंग मशीन, पंखे गीजर, बैड बाक्स व अन्य घरेलू उपयोग की चीजों पर व्यय किया जा रहा है। जिससे पंचायत समिति निधि का दुरुपयोग होता है तथा उक्त व्यय हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भते) नियम, 2002 के प्रावधानों के विपरीत है। पंचायत समिति द्वारा सभी बजट प्रावधान उक्त वित्त नियम के परिशिष्ट-ख में वर्णित बजट शीर्ष अनुसार ही किए जा सकते हैं।

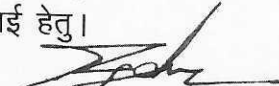
अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप पंचायत समिति से व्यय करते हुए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भते) नियम, 2002 के प्रावधानों का पालन करें तथा अनुज्ञेय वस्तुओं की खरीद पर बिना प्रशासकीय अनुमति के कोई व्यय न किया जाए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि पंचायत समिति से नियमों के विपरीत कोई व्यय किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय,


ऋग्वेद ठाकुर (भा0 प्र0 से0)
निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज विभाग, हि0प्र0।
19 जुलाई, 2022

पृष्ठांकन संख्या — 2341-2423 दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मन्त्री, हि0प्र0 को उनके अ0स0 पत्र संख्या 28483 दिनांक 12.07.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. श्री विजय ठाकुर, अध्यक्ष, हि0प्र0 पंचायत समिति अध्यक्ष परिषद हि0प्र0 को सूचनार्थ
3. समस्त सचिव, पंचायत समिति हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।


निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज विभाग, हि0प्र0।